कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक संख्या– /शि0का0लख0/2020 दिनांकः जुलाई, 2020

कार्यालय–आदेश

उत्तर प्रदेश प्रदेश ई–स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 के अधीन ई–स्टॉम्पिंग प्रणाली के संबंध में शासन के पत्र संख्या–757/94–स्टा0नि0–2–19–500(97)/08टी0सी0 दिनांक 04.11.2019 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य एवं स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (C.R.A.) के मध्य निष्पादित ई–स्टाम्प अनुबन्ध दिनांक 05.12.2019 के अधीन नियुक्त केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (C.R.A.) को शासन के पत्र संख्या–637/94–स्टा0 नि0–2–2020–700(292)/2017 दिनांक 17.07.2020 के द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक RBI/2017-18/110 DBR.No.Leg.BC.98/ 09.08.019/2017-18 Dec 19, 2017 में उल्लिखित पंजीकृत एक मात्र इन्फार्मेशन यूटीलिटी केन्द्र सरकार की कम्पनी एन0ई0एस0एल0 तथा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (स्टेट टैक्सेस–1सेक्शन), भारत सरकार के राज्यों के मुख्य सचिव को संबोधित पत्र S-33013/04/2019–ST-1-DoR दिनांक 30.06.2020 प्रदत्त निर्देशो के अधीन National e-Governance Services Limited (NeSL)/ Stock Holding Corporation of India Limited के प्लेटफार्म पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निम्नलिखित डिजिटली निष्पादित होने वाले लेखपत्रों पर डिजिटल ई–स्टाम्प प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु इस शर्त के साथ अधिकृत किया जाता है कि (C.R.A.) द्वारा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सभी वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त डिजिटल ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र के संबंध में ई–स्टाम्प हेतु अनुबंध दिनांक 05.12.2019 के अनुसार निर्धारित सम्पूर्ण प्रकिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। डिजिटली निष्पादित होने वाले लेख पत्रों पर डिजिटल ई–स्टाम्पिंग निष्पादन तिथि पर अथवा उसके पूर्व ही की जायेगी।

कमांक	अनुच्छेद संख्या–भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की शेड्यूल 1–बी, की अनुच्छेद संख्या	लेखपत्र का पत्रकार–
1	5 (ग)	सामान्य ऋण अनुबंध
2	6	डिपाजिट ऑफ टाइटिल डीड
3	12–ए	बैंक गारण्टी
4	34	इन्डेम्निटी बाण्ड
5	40	डीड ऑफ हाइपोथिकेशन

उपर्युक्त प्रदत्त अनुमति के क्रम में स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड को निर्देशित किया जाता है, कि डिजिटल ई–स्टाम्पिंग के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाय। साथ ही डिजिटली स्टाम्पित

लेखपत्रों के संबंध में उचित स्टाम्प के परीक्षण हेतु विभागीय अधिकारियों को अपने पोर्टल पर access प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक सं: 1546/(1-11)   दिनांक: 21/07/2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री एस रमन्न, आई0ए0एन्डए0एस0, प्रबन्ध निदेशक एवं सी0ई0ओ0, एन0ई0एस0एल0 ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/कलेक्टर, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
6. आन्तरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ, पूर्वी/पश्चिमी ।
7. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उप निबन्धक, उत्तर प्रदेश।
9. श्री बालाजी पात्रो, क्षेत्रीय प्रमुख, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, लखनऊ।
10. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाईल।

21/7/2020
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश।